न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :— अपील प्रकरण संख्या 22/2016

A 8/7

1. जसविन्द्र कौर पत्नी श्री जसविन्द्रसिंह उम्र 43 वर्ष कौम जटसिख निवासीयान 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलविन्द्र कौर पत्नी श्री कुलविन्द्रसिंह उम्र 41 वर्ष कौम जटसिख निवासीयान 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — अपीलान्ट

—:: बनाम ::—

1. गुरदर्शनसिंह
2. गुरचरण सिंह
3. गुरदेव सिंह
4. जरनैल सिंह

(1 से 4) पिसरान स्व0 श्री करतारसिंह कौम रायसिख निवासीयान 8 एच बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

5. सरपंच, ग्राम पंचायत संगतपुरा पंचायत समिति, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— — रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री ऋषी पाल जोशी अधिवक्ता — अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 12-11-16

अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत संगतपुरा तहसील श्रीगंगानगर का इन्तकाल नम्बर 328 दिनांक 06.06.2005 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण ने संयुक्त रूप से जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 31.05.2005 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 {गुरदर्शनसिंह, गुरचरणसिंह, गुरदेवसिंह, जरनैलसिंह} तथा इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह से चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2058 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 19, 57 की कुल 9.381 हैक्टयर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 2.656 हैक्टयर कृषि भूमि एवं संयुक्त खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37, 45, 57, 62, 65 की कुल 12.017 हैक्टयर कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 1.717 हैक्टयर कृषि भूमि में से 10 बीघा रकबा यानि 2.530 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 31.05.2005 द्वारा खरीद की। उक्त बैयनामा श्रीमान उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 858 में पृष्ठ संख्या 61 क्रम संख्या 2005002828 पर दिनांक 31.05.2005 को पंजीबद्ध है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 920 के पृष्ठ संख्या 65 से 71 पर चस्पा है।

अपीलार्थीगण ने, रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी तथा इनके भाई बलदेव सिंह से चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2058 के संयुक्त खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 19, 57 की कुल

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 2.656 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1.898 हैक्टयर यानि (7 बीघा 10 बिस्वा) कृषि भूमि खरीद की थी एवं संयुक्त खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37, 45, 57, 62, 65 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 1.717 हैक्टयर कृषि भूमि में से 0.632 हैक्टयर रकबा दोनो खातो की कुल 2.530 हैक्टयर रकबा खरीद किया था एवं इसी अनुसार अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर तथा भाई बलदेवसिंह के नाम से रकबा दर्ज होना था परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 5 ग्राम पंचायत संगतपुरा ने अपीलार्थीगण व रेस्पोडंटस संख्या 1 ता 4 को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा माईण्ड अप्लाई करते हुए इन्तकाल संख्या 328 द्वारा खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37, 45, 62, 65 की कुल 12.017 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 1.717 हैक्टयर कृषि भूमि (समस्त कृषि भूमि) अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर एवं कुलविन्द्रकौर) के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी तथा खाता संख्या 34 के मुरब्बा नम्बर 19,57 की कुल 9.381 हैक्टयर कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 2.656 हैक्टयर में से 0.813 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलांट (जसविन्द्रकौर एवं कुलविन्द्रकौर) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जिसे ग्राम पंचायत संगतपुरा द्वारा बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए दिनांक 06.06.2005 को स्वीकृत कर दिया जो काबिले दुरुस्ती है।

रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर तथा इनके भाई बलदेव सिंह से चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2058 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 19, 57 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 2.656 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1.898 हैक्टयर कृषि भूमि खरीद की, जिसकी अपीलार्थीगण खरीद की दिनांक से ही संयुक्त रूप से मालिक काबिज एवं काश्त है तथा शेष रकबा 0.758 हैक्टयर के रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 काबिज काश्त है इसलिए खाता संख्या 34 का 1.898 हैक्टयर रकबा अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर एवं कुलविन्द्रकौर) के नाम दर्ज होना चाहिए था तथा शेष 0.758 हैक्टयर रकबा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 5 ग्राम पंचायत संगतपुरा ने बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा माईण्ड अप्लाई कर अपीलार्थीगण द्वारा इस खाता में खरीद किए गए रकबा से कम रकबा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया है जिससे अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त भी प्रभावित हुए है इसलिए उक्त इन्तकाल संख्या 328 को दरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर तथा इनके भाई बलदेव सिंह से चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2058 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37, 45, 47, 62, 65 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिह के नाम दर्ज 1.717 हैक्टयर कृषि भूमि में से 0.632 हैक्टयर कृषि भूमि खरीद की, जिसकी अपीलार्थीगण खरीद की दिनांक से ही संयुक्त रूप से मालिक काबिज एवं काश्त है तथा शेष रकबा 1.085 हैक्टयर रकबा के रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 काबिज काश्त है इसलिए खाता संख्या 25 का 0.632 हैक्टयर रकबा अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर एवं कुलविन्द्रकौर) के

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नाम दर्ज होना चाहिए था तथा शेष 1.085 हैक्टयर रकबा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 5 ग्राम पंचायत संगतपुरा ने बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा माईण्ड अप्लाई कर अपीलांटस द्वारा खरीद किए गए रकबा से अधिक रकबा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया है जिससे अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त भी प्रभावित हुए है इसलिए उक्त इन्तकाल संख्या 328 को दरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 नेकनीयत है एवं अपीलार्थीगण खरीद की दिनांक से ही चक 8 एच बड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2058 की खाता संख्या 25 की 0.632 हैक्टयर तथा खाता संख्या 34 की 1.898 हैक्टयर कुल 2.530 हैक्टयर कृषि भूमि के काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट भी इन्तकाल संख्या 328 द्वारा हुए अंकन को दुरूस्त करवाने में पूर्णतः सहमत है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 की माताजी सरजीत कौर का दिनांक 16.02.2009 को स्वर्गवास हो चुका है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के भाई बलदेवसिंह पुत्र करतारसिंह का दिनांक 10.08.2006 को स्वर्गवास हो चुका है बलदेवसिंह अविवाहित था। मृतक सरजीतकौर एवं बलदेवसिंह के रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 वारिसान है, इसलिए सरजीतकौर व बलदेवसिंह के हक व हिस्सा के लिए भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 को पक्षकार है।

अपीलार्थीगण दिनांक 26.09.2016 को अपने नाम दर्ज रकबा की जमाबन्दी लेने हेतू पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर रेस्पोडेंट संख्या 5 द्वारा किए गए इन्तकाल का ज्ञान हुआ है जिस पर अपीलार्थीगण ने इन्तकाल की दिनांक 27.09.2016 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की तथा बिना किसी विलम्ब के अपील पेश की जा रही है। चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 5 द्वारा इन्तकाल स्वीकृती आदेश दिनांक 06.06.2005 का है इसलिए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतू धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपील ग्राम पंचायत संगतपुरा का इन्तकाल नम्बर 328 स्वीकृत दिनांक 06.06.2005 को दुरूस्त किया जाकर चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2058 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 19, 57 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 2.656 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1.898 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह एवं कुलविन्द्रकौर पत्नी कुलविन्द्रसिंह) के नाम से तथा शेष रकबा 0.758 हैक्टयर रकबा सरजीतकौर वगैरा के नाम से एवं खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37, 45, 47, 62, 65 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 1.717 हैक्टयर कृषि भूमि में से 0.632 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह एवं कुलविन्द्रकौर पत्नी कुलविन्द्रसिंह) के नाम तथा शेष 1.085 हैक्टयर रकबा सरजीतकौर वगैरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट की और से श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष द्वारा दिनांक 07.11.2016 को उपस्थित होकर आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया उभयपक्ष द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये अपीलान्ट की पहचान श्री ऋषी कुमार जोशी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट की पहचान श्री विजय सिंह भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अपीलान्ट एवम् रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी शीर्षक अपील में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है।

पक्षकारान ग्राम पंचायत संगतपुरा व पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा किए गए नामान्तरण संख्या 328 स्वीकृत दिनांक 06.06.2005 को बैयनामा एवं काश्त अनुसार दुरूस्त करवाने में सहमत है । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 तथा द्वितीय पक्ष की माताजी सरजीतकौर का दिनांक 16.02.2009 को स्वर्गवास हो चुका है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के भाई बलदेवसिंह पुत्र करतारसिंह का दिनांक 10.08.2006 को स्वर्गवास हो चुका है। बलदेवसिंह अविवाहित था। मृतक सरजीतकौर एवं बलदेवसिंह के रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 द्वितीय पक्षकारान वारिसान है इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत संगतपुरा का इन्तकाल नम्बर 328 स्वीकृत दिनांक 06.06.2005 को दुरूस्त किया जाकर चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2058 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 19, 57 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 2.656 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1.898 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह एवं कुलविन्द्रकौर पत्नी कुलविन्द्रसिंह) के नाम से तथा शेष रकबा 0.758 हैक्टयर रकबा सरजीतकौर वगैरा के नाम से एवं खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37, 45, 47, 62, 65 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 1.717 हैक्टयर कृषि भूमि में से 0.632 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह एवं कुलविन्द्रकौर पत्नी कुलविन्द्रसिंह) के नाम तथा शेष 1.085 हैक्टयर रकबा सरजीतकौर वगैरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे पर दिनांक 12.11.2016 को बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार अपील का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपील पोषणीय पाई जाने के कारण स्वीकार की जाकर आदेश दिये जाते है, कि ग्राम पंचायत संगतपुरा का इन्तकाल नम्बर 328 स्वीकृत दिनांक 06.06.2005 को दुरूस्त किया जाकर चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2058 के खाता संख्या 34/29 के मुरब्बा नम्बर 19, 57 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 2.656 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1.898 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह एवं कुलविन्द्रकौर पत्नी कुलविन्द्रसिंह) के नाम से तथा शेष रकबा 0.758 हैक्टयर रकबा सरजीतकौर वगैरा के नाम से एवं खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37, 45, 47, 62, 65 की कुल कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व इनकी माताजी सरजीतकौर व इनके भाई बलदेवसिंह के नाम दर्ज 1.717 हैक्टयर कृषि भूमि में से 0.632 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलार्थीगण (जसविन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह एवं कुलविन्द्रकौर पत्नी कुलविन्द्रसिंह) के नाम तथा शेष 1.085 हैक्टयर रकबा सरजीतकौर वगैरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12-11-16 .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर